भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3269

उत्तर देने की तारीख : 09.12.2019

शिक्षकों की जवाबदेही

†3269. श्रीमती अपराजिता सारंगीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की उपस्थिति, कार्य-निष्पादन

और जवाबदेही में सुधार के लिए कोई स्कीम है या योजना लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपस्थिति-दर, कक्षा में कार्य-निष्पादन और योजना के प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले किसी भी अन्य मैट्रिक्स का ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षा परिणामों की रूपरेखा पर विचार किया है जो केवल केन्द्र द्वारा निर्धारित परीक्षण और पाठ्यक्रम जैसे उपायों तक सीमित नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। शिक्षकों की भर्ती और सेवा शर्तें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं जो शिक्षकों के निष्पादन के लिए जवाबदेही तंत्र निर्धारित करते हैं।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई), अधिनियम 2009 की धारा 24 में उल्लेख है कि शिक्षक को स्कूल में नियमित रूप से उपस्थित होना है और समयबद्ध ढ़ंग से पाठ्यक्रम पूरा करना हैं, उन बच्चों को पूरक सहयोग देना हैं जिन्हें सहयोग की आवश्यकता है, बच्चों के अधिगम का मूल्यांकन करना हैं, और अभिभावकों से वार्तालाप करना हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के निष्पादन के स्वमूल्यांकन हेतु प्रारंभिक शिक्षा निष्पादन सूचकांक (पिंडिक्स) विकसित किया है जिसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बायोमेट्रिक/इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति प्रणाली और अन्य साधनों को स्थापित करके स्कूल प्रबंध

समितियों/स्कूल प्रबंध विकास समितियों/ब्लाक संसाधन केंद्रों/क्लस्टर संसाधन केंद्रों के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी की जाती है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) से संबंधित केंद्रीय नियमों में कक्षा-वार, विषय-वार अधिगम परिणामों पर संदर्भ शामिल करने के लिए 20 फरवरी, 2017 को संशोधन किया गया था। एनसीईआरटी कक्षा - III, V, VIII और X में बच्चों की अधिगम उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) संचालित करता है जिसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अंतरालों की पहचान करने और कार्यनीतियां तैयार करने के लिए साझा किया जाता है और यह शिक्षण अधिगम के क्षेत्रों जिसमें सुधार की आवश्यकता है, पर फोकस करके शिक्षकों के लिए फीडबैक भी प्रदान करता है। एनएएस के अलावा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर विभिन्न क्षेत्रों/जिलों से संबंधित बच्चों के उपलब्धि स्तर को समझने में सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एसएलएएस) मूल्यांकन करते हैं।

****